

फॉर्म अठकाम
 नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

दिनांक

बसा

दिनांक आज या कार्यवाही	आज विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/06/19	पत्रावली पेश हुई वकील उमयपुत्र उपस्थित माउन्ट जेलम के जवाब हेतु पत्रावली 27/06/19 को पेश है उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	54840 13-एल माउन्ट जेलम पत्रावली 27/06/19 को पेश है
27/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक को पेश हो। 17/7/19	
1/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूरा आदेशानुसार दिनांक को पेश हो। 8/7/19	
3/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूरा आदेशानुसार दिनांक को पेश हो। 9/7/19	
7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूरा आदेशानुसार दिनांक को पेश हो। 11/7/19	
7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, व 9 तथा प्रतिवादी संख्या 11 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण	

कम संख्या
दिनांक आदि
या कार्यवाही

आजा धिस्तृत रूप से

कि नामील रूफिस्ट्स में व अरववार

शांभरा से करवाने के वावजूद शेष
प्रतिवादीगण आ डिनांक तक अपालातन

असालातन, वकालातन हाजीर नती
दूजे हो। लिहाजा शेष प्रतिवादीगण के

खिलाफ एक गरफा कार्यवाही अमल
में लई जाती है। वकील वादी द्वारा

वाद पत्र के प्राथमिक डिक्री के जे जाने
का न्यायालय हाजा से अनुवेद्य किमा

प्रतिवादी संख्या #, 5, व 9 के वकिल
श्री अजय शर्मा द्वारा कथन किमा गथा

कि वाद वास्तु आराजी का विमाजन बंद से पहले
आ रते के वटवारे एवं मारये पर हो रते खरवा

वटवारे / खरवा निर्माण निर्माण के अनुसार
होता है। मी किन प्रतिवादी के कई आपसी

नहीं है। प्रतिवादी संख्या ॥ के अल्पवक्ता
श्री सनातन पारीक द्वारा कथन किमा

गथा कि किन प्रतिवादी के काउन्टर
क्लैम एवं काउन्टर क्लैम के साथ

प्रलता सलगन नजरी नवसे एवं
करजे के असाधिक मूमि वाद गस्त
कि आने जाने के बानो को खान में
बरवो इके वाद पत्र का प्राथमिक डिक्री

रूप में कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्ता जिला-जयपुर

किया जाता है। नौ दिन प्रतिवादी को
 कोई आपसि नहीं है, प्रतिवादी सरण्या
 ॥ व प्रतिवादी सरण्या १, ५, व ७ के
 अल्पिकताओं द्वारा उक्त कणों पर
 वकील वादी द्वारा सम्मति व्यक्त की
 गई। अतः उपरोक्त विवेचन के आधारे
 पर वादी का वाद इत कदर प्राथमिक
 डिफ्री किया जाता है कि वाद गत आराजी
 के/पर पूर्व से चले आ रहे पटवारे एवं
 श्रमिता निर्माण व आने जाने के रास्ते
 को क्माण में रखता हुआ ही प्रतिवादी
 सरण्या ॥ के काउन्टर क्लेम व संलग्न
 वजरी नक़्शे अगुसाट व श्रमिवादगस्त
 का नक़्शे के अगुसाट वाद पत्र को
 प्राथमिक डिफ्री किया जाता है। प्राथमिक
 डिफ्री पन्चा जारी है। महलिलवाट कस्बी
 के प्राथमिक डिफ्री पन्चा एवं आवेडा की प्रति
 के साथ वाद पत्र के मद्र नम्बर १ के
 वर्तिन श्रमी वादगस्त आराजी खार
 नम्बर १०४२ रकबा ४.१३०० हेक्टेयर
 वाले ग्राम कस्बी परवार हलका कस्बी
 की प्रती वालो न्यायालय के आवेडा हेड
 मेजी जावे की वह वाद गत आराजी

उप जिला कलेक्टर एवं मैजिस्ट्रेट
 बस्ती जिला-अधपुर

दिने जाने का न्यायालय हाजा से निवेदन
क्रमा! प्रतिवादी संख्या 4, 5, व 9 के
अभिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव
का अवलोकन करने हेतु न्यायालय
हाजा से समग्र चर्चा अतः पत्रावली
दिनांक 7/11/19 के पत्रावली

Dom
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्ती जिला-जयपुर

7/11/19

पत्रावली आज पेश हुई। वजुलाम उपर। प्रतिवादी
संख्या 4, 5, व 9 के अभिवक्ता द्वारा उरजात
रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करता हुआ। न्यायालय
हाजा से निवेदन क्रमा! के पूर्व ही जो न्यायालय
बस्ती से विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ उसमें
प्रतिवादी संख्या 4, 5, व 9 का विभाजन प्रस्ताव
क्रम से नहीं क्रमागत है अतः न्यायालय बस्ती
को अपेक्षा क्रमा जाता है कि वह वादी एवं
प्रतिवादी की उपस्थिति में उनका सुविचारित
हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करें। पत्रावली पर
उपस्थित अभिवक्ताओं को सुविचारित क्रमा जाता

Handwritten signature

Handwritten signature

5/3/2020 का वरुण देवा आराजी पर जो
 उममपदों की भी उदगी में महलीला
 का राजत्व धर्मचारियों की भी अति
 किया जाता है कि वह उममपदों की भी उदगी
 में श्रीजाय रिपोर्ट लाए और कदले व्यापार
 में निजवधि पनावली दिनांक 5/3/2020
 का पेशा है।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्ती जिला-जयपुर

5/3/2020 पनावली आज पेशा इई! 9 बुलाम उपस्थित!
 वकील उममपदों के द्वारा महलीला कस्सी
 से दिनांक 31/1/2020 पत्र क्रमांक 932 से
 से इस पनावली पर प्राकृत विभाजन प्रस्ताव

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्ती जिला-जयपुर

का) सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया।
 व अवलोकन पश्चात प्रस्ताव विभाजन प्रस्ताव
 पर वकील वादी श्री सुधीर शर्मा के द्वारा वादी
 श्री और से सहमती भी गई। व सहमति स्वकंप
 न्यायालय हाजा भी आवेदिका पर हस्ताक्षर कर
 सहमति का नोट अंकित किया गया। शीप्रकार
 प्रतिवादी संख्या 11 के अखिवक्ता के द्वारा भी उंचे
 प्रतिवादी संख्या 4, 5, व 9 के अखिवक्ता के द्वारा
 उंचे उंचे प्रतिवादी के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर
 सहमति व्यक्त कर न्यायालय हाजा भी आवेदिका
 पर सहमति स्वकंप हस्ताक्षर कीये गये व न्यायालय
 हाजा से न्यायिक विभाजन प्रस्ताव वाद पत्र को
 अंतिम डिमी फाइन का निवेदन किया। उच्चपक्षों
 के निवेदन पश्चात न्यायालय हाजा के द्वारा फलवली
 उंचे पत्रवली पर मौखिक वस्तुविषयों का सावधानी
 पूर्वक उंचे विभाजन प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक अवलोकन
 किया गया जो हम पक्षों के नटलीलदार वरुणा के
 राजस्व कर्मचारी श्री / हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन
 प्रस्ताव प्यार करती समय सहक से प्रतिवादी संख्या
 5 के भाग का अंकन समीप गुफा परिन रामपिनोद
 के स्थान पर समीप गुफा परिन सुदिता चन्द कर
 दिया गया है। जो भी एक खलवत्र व सि सिक्ति तुरी
 उंचे सदमावी गलती के अन्तर्गत आती है। उंचे
 लिखित तुरी के वकील अग्रपक्ष के द्वारा उच्च करने
 हेतु निवेदन किया गया उंचे न्यायालय हाजा से वाद
 पत्र के निर्णय से ही उच्च करने हेतु निवेदन किया
 गया। व सहमति न्यायिक व्यक्त की गई। अतः नटलीलदार
 वरुणा के न्यायालय हाजा के निर्णय व डिमी की

श्री 24/1
 वादी शिवाजी
 अग्रपक्ष

किस
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

पालना करने समय प्रतिवादी संख्या 5 का
 नाम सतीश गुप्ता पत्नी सुरेश चन्दा के (पति)
 पर सतीश गुप्ता पत्नी रमविनी देवी के (पति)
 अर्थात् किया जाता है! एवं उभयपक्षों को
 सुदृष्ट से अवगत करवाया गया! अतः असाक्षिक
 विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद पर यावत् विभाजन
 एवं स्याही लिखे जाये का असाक्षिक विभाजन प्रस्ताव
 पर उभयपक्षों की सहमति (यदि अन्तिम डिक्री किमा
 जाता है! व मसलत वाद वरुसी को आदेशित किया
 जाता है! कि वह न्यायालय हाजिर के निर्णय व डिक्री
 को पालना करना सुनिश्चित करे! न्यायालय
 हाजिर व डिक्री को एवं अन्तिम डिक्री पार कर
 पालना हेतु अतः विभाजन प्रस्ताव को उक्त
 प्रति अकर्मवीर के साथ अतः वाद को धारणा प्रती
 मसलत वाद वरुसी को निर्णय को पालना हेतु मैजि
 अति!

प्रावली प्रसन्न कुमार होकर वर्ष नवंबर से
 कम होवे पर वापिस पक़ार हो!

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को खुले न्यायालय
 एवं उभयपक्ष वक्त्राभ व सर इजलस सुनाया
 गया!

सय लि
 एवं मैजिस्ट्रेट
 जिला-जयपुर